

* ई-मेल स्पीड
पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत नगर निगम छपरा क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी हेतु सेंटेंज सहित कुल स्वीकृत राशि ₹13497.089 लाख (एक सौ चौतीस करोड़ सन्तानवे लाख आठ हजार नौ सौ ₹0) मात्र लागत की स्वीकृत छपरा स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में तत्काल राशि ₹9923.649 लाख (निन्यानवे करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र के सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5588 दिनांक 27.09.2023 द्वारा स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत नगर निगम छपरा क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी हेतु सेंटेंज सहित कुल राशि ₹13497.089 लाख (एक सौ चौतीस करोड़ सन्तानवे लाख आठ हजार नौ सौ ₹0) मात्र लागत की छपरा स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जा रहा है।

2. स्वीकृत कुल राशि ₹13497.089 लाख (एक सौ चौतीस करोड़ सन्तानवे लाख आठ हजार नौ सौ ₹0) मात्र के विरुद्ध राज्यादेश सं०-479, दिनांक-15.03.2024 द्वारा ₹1573.44 लाख रूपये एवं राज्यादेश सं०-137, दिनांक-06.06.2025 द्वारा ₹2000.00 लाख रूपये आवंटित किया जा चुका है।

3. प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक-40 दिनांक-04.01.2026 द्वारा आवंटित राशि से व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में ₹9923.649 लाख (निन्यानवे करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ में अंकित योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल स्तम्भ-6 में अंकित राशि राशि ₹9923.649 लाख (निन्यानवे करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(रूपये लाख में)

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	छपरा नगर निगम	छपरा स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना	13497.089	3573.44	9923.649	0

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹9923.649 लाख (निन्यानवे करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र।

5. स्वीकृत कुल राशि ₹9923.649 लाख (निन्यानवे करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास

एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के PL खाता सं०-PTSPLA006, HoA संख्या-00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

6. स्वीकृत कुल राशि ₹9923.649 लाख (निन्यानवे करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार नौ सौ रुपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष-2215-जलापूर्ति एवं सफाई, उपमुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0103-स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना-सात निश्चय-2 के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215027890103, विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से की जाएगी।

7. बिहार कोषागार संहिता के नियम 286 के आलोक में यथा बी0टी0सी0 फार्म संख्या-46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. विभागीय पत्रांक-06, दिनांक-07.01.2026 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बुडको द्वारा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार राशि का भुगतान योजना में कार्यरत एजेंसी को की जाएगी एवं भुगतान किये जाने वाले एजेंसी (संस्था) के बैंक खाता में भी कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। यदि योजना में किसी प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य जाँच एजेंसी द्वारा जाँच किया जा रहा है तो प्रत्येक भुगतान की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जाँच एजेंसी को उपलब्ध काराई जाएगी।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को आवश्यक उपलब्ध कराया जाय।

11. स्वीकृत राशि O & M के शर्त को ध्यान में रखते हुए वास्तविक व्यय के विरुद्ध की जायेगी तथा संबंधित को भुगतान वित्तीय नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं संविदा शर्तों के अनुरूप सप्रमाण किया जाएगा।

12. स्वीकृत राशि का व्यय केवल संबंधित योजना के क्रियान्वयन में ही किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बुडको के संबंधित अभियंता संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना की डुप्लिकेसी ना हो।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृष्ठ सं०-32/टि० पर दिनांक-17.01.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 34/टि० पर दिनांक-24.01.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-15/अभि-SWD-17-22/2025 464 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-29/01/26

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/नगर आयुक्त, नगर निगम, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/ योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।